

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

क्रमांक:- एफ.4(ई)बी-91/अलेसे-III/4649

दिनांक:- 21/10/2019

आदेश संख्या:- 554 2019-20

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल के लिए स्थायी पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है।

क. सं.	लिक नं0	मेरिट नं0/ बैच	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9794	91/2011	बरदी चन्द ऐरताल	12.08.1973	08.12.2015	07.12.2017	08.12.2017

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के पे मेट्रिक्स के लेवल L-10 में मूल वेतन एवं नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कर्मियों (जो परिवीक्षाकाल में पूर्व पद का वेतन प्राप्त कर रहे हैं) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 के अन्तर्गत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ.15 (1)एफ.डी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार किया जाएगा।

यह आदेश लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2011 में लम्बित न्यायिक प्रकरणों पर निर्णय के अधीन रहेंगे।

(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

दिनांक:- 21/10/2019

क्रमांक:- एफ.4(ई)बी-91/अलेसे-III/4649

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. अति. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. श्री कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय.....
6. रक्षित/निजी पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)